न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 02/2018 **दायरा दिनांक : 02.01.2018**

उनवान

कमरूद्दीन आत्मज श्री मुनीर शाह, जाति मुसलमान, निवासी पलसावा, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मुंशी आत्मज श्री मुनीर शाह, जाति मुसलमान, निवासी पलसावा, तहसील अन्ता, जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री निशित सिनोट अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 27.08.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या — 60/2014 निर्णय दिनांक 10.09.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पलसावा, तहसील अन्ता

की आराजी खसरा नम्बर 696 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 698 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.29 हेक्टर, कुल 3 किता रकबा 0.76 हेक्टर आराजी प्रार्थी के खाते में दर्ज चली आ रही है । हाल सैटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 488 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा किस्म बंजड़ प्रार्थी को कीमतन आवंटन हुई है । सैटलमेंट विभाग द्वारा गत रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा (1.10 हेक्टर) के स्थान पर 0.76 हेक्टर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के खाते दर्ज किया है, जो 0.34 हेक्टर आराजी कम दर्ज की है तथा वर्तमान नक्शा भी गलत दर्ज किया है । अतः प्रार्थी का 6 बीघा 18 बिस्वा पर कब्जा यथावत रखा जाये । प्रार्थी का खसरा नम्बर 488 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा के राजस्व रेकार्ड 0.34 हेक्टर रकबा कम दर्ज करके अप्रार्थी नम्बर 1 के हाल खसरा नम्बर 733 रकबा 0.64 हेक्टर में मिला दिया है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2044 से 2063 से आराजी वादी के कब्जे काश्त में अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते में खसरा नम्बर 733 में दर्ज कर दी है । जबकि प्रार्थी 40 वर्षों से निर्बाध रूप से वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है जिस कारण प्रार्थी को एडवर्स पजेशन प्राप्त हो गया है । प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों ही प्रार्थी के पक्ष में है । अतः रेकार्ड दुरूस्त होने तक रेकार्ड व मौके की यथास्थित रखी जाये, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने में त्रुटि की है । अपीलांट को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । विवादित आराजी खसरा नम्बर 447 जा0 फो0 के तहत कार्यवाही सिविल न्यायालय अन्ता में जैरकार थी जिस पर उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ था जिसमें वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किया जावे । परन्तु रेस्पोडेंट द्वारा राजीनामे को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को पेश किया । प्रार्थी रेस्पोडेंट क्लीन हैण्ड से नहीं आया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी, जवाबदेही का अवसर दिये बिना ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.12.2017 को हुई, जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पलसावा, तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 696 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 698 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.29 हेक्टर, कुल 3 किता रकबा 0.76 हेक्टर आराजी प्रार्थी के खाते में दर्ज चली आ रही है । हाल सैटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 488 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा किस्म बंजड़ प्रार्थी को कीमतन आवंटन हुई है । सैटलमेंट विभाग द्वारा गत रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा (1.10 हेक्टर) के स्थान पर 0.76 हेक्टर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के खाते दर्ज किया है जो 0.34 हेक्टर आराजी कम दर्ज की है । अपीलांट को सुनवायी, जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम पलसावा, खाता संख्या 264, पर्चा संख्या 261, पर्चा भू प्रबन्ध विभाग ग्राम पलसावा सम्वत 2044 से 2063 की फोटो प्रति, खाता संख्या 266 पर्चा संख्या 265 पर्चा भू प्रबन्ध विभाग, आवंटन आदेश की फोटो प्रति, भू प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षेत्रफल ग्राम पलसावा सम्वत 2044–63 की फोटो प्रति, नक्शा ग्राम पलसावा की फोटो प्रति सलंग्न की है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं वे फोटो प्रतियां हैं

जो साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । हम इस प्रकरण में अपीलांट अप्रार्थीगण को न्यायहित में सुनवायी, जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना हम उचित समझते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । न्यायहित में हम अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2014 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर उभयपक्षीय बहस सुनकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.11.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा